न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 22/2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 08.02.2016
निर्णय दिनांक – 14.11.2017

1. श्री रामा पिता रूपा गायरी
2. श्री पेमा पिता रूपा गायरी
3. श्री डालू पिता रूपा गायरी मृतक के बजाय
   3/1 केसी पत्नि स्व. श्री डालू जी गायरी
   3/2 जेतराम पत्नि स्व. श्री डालू जी गायरी
   3/3 गोपी पत्नि स्व. श्री डालू जी गायरी
   3/4 श्रीमती भंवरी पत्नि स्व. श्री डालू जी गायरी
4. श्री नाथू पिता रूपा गायरी
5. श्री सवा पिता मगना (पिता श्री रूपा)
   निवासी 1 से 5 मेरो का गुडा, अम्बेरी, पटवार हल्का सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अम्बालाल पिता श्री कुकाजी गायरी (माता श्रीमती मोहनी बाई)।
2. श्री शान्तिलाल पिता श्री कुकाजी गायरी (माता श्रीमती मोवनी बाई)।
3. श्री गणेश पिता श्री कुकाजी गायरी (माता श्रीमती मोवनी बाई)।
4. श्री बंशीलाल पिता श्री कुकाजी गायरी (माता श्रीमती मोवनी बाई)।
5. श्रीमती देउबाई पुत्री श्री कुकाजी गायरी (माता श्रीमती मोवनी बाई)।
   निवासीयान गायरीयावास, ढीकली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. श्री माधव सिंह पिता श्री गोपाल सिंह सौलंकी, निवासी बाडी तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्री भंवरलाल पित श्री रामा जी गायरी, निवासी मेहरो का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री भंवरलाल गायरी, निवासी मेरो का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
10. श्रीमती मोनिका पत्नि श्री बाबुलाल गायरी, निवासी सुन्दरवास, जिला उदयपुर।

11. श्री अनवर खान पिता श्री अब्दुल लतीफ मुसलमान निवासी 725, गणेशनगर, पहाड़ा जिला उदयपुर।
12. श्रीमती गमेरी बाई पत्नि नारायण जी गायरी, निवासी बड़ी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
13. श्री मनोज पिता श्री पन्नालाल सुथार, निवासी मेहरो का गुडा, अम्बेरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
14. श्री महेन्द्र पिता श्री पन्नालाल सुथार, निवासी मेरो का गुडा, अम्बेरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।.

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

1– श्री अजय सिंह हाडा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री सुशील कोठारी – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5
3– श्री धमेन्द्र गहलोत – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 10

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर प्रकरण संख्या 26/2014 निर्णय दिनांक 29.09.2015

निर्णय

दिनांक : 14.11.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर, प्रकरण संख्या 26/2014 निर्णय दिनाक 29.09.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्रम अम्बेरी तहसील गिर्वा हाल तहसील बड़गांव के नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 16.06.1992 तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में पेश की गई। न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर ने तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 212 ग्रम अम्बेरी निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि जांच कर पहचान कर सभी वारीसानों को सुना जाकर नये सीरे से पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करें एवं वारिसानों द्वारा जो भूमि विक्रय कर दी गई है, वह अपने नोशनल शेयर से अधिक का बेचान नहीं कर सकते है। अतः इनके हिस्से में प्राप्त भूमि का ही नामान्तरकरण किये

जाने का आदेश दिनांक 29.09.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। एवं तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 एवं 10 के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.10.2017 को सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा पूर्ण जांच पड़ताल की गई एवं मृतक श्री रुपा पिता भग्गा गायरी के विधिक वारिसान अपीलान्ट्स संख्या 1 से 5 एवं अपीलान्ट्स की माता श्रीमती देऊ बाई के नाम विधिवत रुप से नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 16.06.1992 स्वीकृत किया गया। रेस्पों. संख्या 1 से 5 की माता मोवनी बाई अपनी माता देऊ बाई के साथ आयी थी। मोवनी गेलड़ पुत्री थी। गेलड़ पुत्री को अपने जनक (नैसर्गिक) पिता की सम्पति में ही हक हकुक प्राप्त होते है। सौतेले पिता की सम्पति में उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। जब रेस्पों. की माता मोवनी बाई का स्वर्गवास हुआ था, जब इन्तकाल संख्या 1116 दिनांक 19.05.2009 को दर्ज हुआ था उस समय से ही रेस्पों. सं. 1 से 5 को जानकारी थी उसके बाद भी अपील वर्ष 2010 में प्रस्तुत करने का कोई ठोस या पर्याप्त कारण नहीं बताया गया। जबकि धारा 5 के प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है उन कारणों पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रतिदिन देरी की व्याख्या देनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय को अपील मयाद के बिन्दु पर ही निर्णित किया जाना चाहिये था। नामान्तरकरण संख्या 1116 दिनांक 19.05.2009 अपीलन्ट्स की माता एवं श्रीमती मोहन देवी की माता की हैसियत से तस्दीक किया गया है जिसमें देऊ बाई के हिस्से की कृषि भूमि मोहनी देवी का प्राकृतिक पुत्री होने के नाते उक्त हिस्से में श्रीमती मोहनी देवी एवं उसके वारिसान का नाम अंकित होना कानूनन सही है। किन्तु स्वर्गीय रुपा पिता भज्जा गायरी की जाईन्दा औलाद नहीं है। प्रश्नगत निर्णय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स की ओर से प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी.का पेश कर रेस्पोंडेन्ट्स के नाम पर ना.करण संख्या 1116 दिनांक 19.05.2009 से आयी भूमि का विक्रय पंजीयन रेस्पों. संख्या 11 के पक्ष में दिनांक 18.06.2009 को निष्पादित किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1153 खोला जा चुका है। अन्त में उक्त दस्तावेज रेकर्ड पर लिया जाकर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 खारिज किये जाने का कथन किया।

अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी.2010 (1)पेज 625, आर.आर.टी. 2006–07(Supp) पेज 261, डी.एन.जे. 2016(1) पेज 201 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 1 से 5 ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पों. संख्या 1 से 5 की माता श्रीमती मोवनी बाई मृतक रुपा पिता भज्जा की जायन्दा पुत्री होकर जीवित थी एवं स्वर्गीय रुपा की खातेदारी भूमि में उसका 1/7 हिस्सा बनता था। पटवारी हल्का की उक्त गलत रिपोर्ट को बगैर सजरे के जॉच किये राजस्व केम्प में तहसीलदार गिर्वा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 16.06.92 को स्वीकृत कर दिया, जबकि 45 दिनें में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के अधिकार ग्रम पंचायत को है। जिससे स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। रुपा पिता भज्जा की मृत्यु के समय रेस्पों. संख्या 1 से 5 की माता श्रीमती मोवनी बाई जीवित होकर मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिस थी जिसका नाम विधिवत रुप से नामान्तरकरण मे दर्ज होना चाहिये था एवं मृतक की कुलिया खातेदारी में से 1/7 हिस्सा श्रीमती मोवनी बाई के नाम दर्ज होना चाहिये था। जब रुपा की पत्नि देऊ बाई की मृत्यु होने पर विधिक वारिसानों का जो नामान्तरकरण संख्या 1116 दिनांक 19.05.2009 खोला गया था जिसमें रेस्पों संख्या 1 से 5 के भी नाम मोवनी के विधिक वारिसानों की हैसियत से दर्ज किये गये। ऐसी स्थिति में रुपा के वारीसानों में भी मोवनी के विधिक वारीसानों के नाम दर्ज होना चाहिये था। ग्रम पंचायत ढीकली द्वारा भी दिनांक 05.0608 को दिये गये प्रमाण पत्र में रेस्पों. को मोवनी के वारीस माना है एवं देऊ बाई के वारीसानों में भी मोवनी को वारीस माना है। जहॉ मियाद का प्रश्न है तो रेस्पों. को बिना सुने ही नामान्तरकरण पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। आगे यह भी कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित नामान्तरकरण को निरस्त कर तहसीलदार को पत्रावली पुनः प्रेषित कर वास्तवीक वारीसान की जांच कर एवं पक्षकारों को सुनने के उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही का आदेश दिया जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट को अपनी आपत्ति वारीसान बाबत कोई आपत्ति हो तो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी.2001(1) पेज 257, आर.आर.डी. 2009 पेज 195,आर.आर.टी. 2002(1)पेज 648 , आर.आर.डी.1994 पेज 604 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29..05.2015 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधीवक्ता रेस्पों.सं. 10 ने भी रेस्पों. संख्या 1 से 5 की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश को बहाल रखने की प्रार्थना की ।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। यह तथ्य सही है कि रुपा की पत्नि देऊ बाई की मृत्यु होने पर विधिक वारिसानों का जो नामान्तरकरण संख्या 1116 दिनांक 19.05.2009 खोला गया था जिसमें रेस्पों संख्या 1 से 5 के भी नाम मोवनी के विधिक वारिसानों की हैसियत से दर्ज किये गये। ऐसी स्थिति में रुपा के वारीसानों में भी मोवनी के विधिक वारीसानों के नाम दर्ज होना चाहिये था। ग्रम पंचायत ढीकली द्वारा भी दिनांक 05.0608 को दिये गये प्रमाण पत्र में रेस्पों.सं. 1 से 5 को मोवनी के वारीस माना है एवं देऊ बाई के वारीसानों में भी मोवनी को वारीस माना है। ऐसी स्थिति में न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 16.06.92 ग्रम अम्बेरी निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को प्रतिप्रेषित कर स्वर्गीय रुपा पिता भज्जा गायरी के विधिक वारीसानों की सही जॉच कर पहचान कर सभी वारीसनों को सुना जाकर नये सीरे से पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करें एवं वारीसानों द्वारा जो भूमि विक्रय कर दी गई है, वह अपने नोशनल शेयर से अधिक का बेचान नहीं कर सकते है तथा इनके हिस्से में प्राप्त भूमि का ही नामान्तरकरण किये जाने का निर्णय दिनांक 29.09.2015 का पारित किया गया है। उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर